भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 1174

(जिसका उत्तर सोमवार, 11 दिसंबर, 2023/20 अग्रहायण, 1945 (शक) को दिया गया)

विशेष अभियान 3.0

1174. श्री परबतभाई सवाभाई पटेलः

श्री राजेन्द्र अग्रवालः

श्री धर्मेन्द कश्यपः

श्री दुष्यंत सिंहः

डॉ. निशिकांत दुबेः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा अक्तूबर, 2023 में शुरू किए गए महीने भर के विशेष अभियान 3.0 का ब्यौरा क्या है;

(ख) विशेष अभियान के दौरान निपटाए गए लंबित मामलों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) स्वच्छता अभियान का क्या प्रभाव पड़ा है और भौतिक सामग्री को कम करने और 100 प्रतिशत डिजिटल प्रलेखन की ओर जाने की सरकार की भावी योजनाएं, यदि कोई हों, क्या हैं;

(घ) कंपनी कानून के अंतर्गत लंबित मुकदमों की संख्या को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ङ) मुकदमों के बोझ को कम करने के सरकार के प्रयासों के भाग के रूप में वापस लिए गए अथवा कम किए गए मामलों की संख्या के संबंध में आंकड़े क्या हैं; और

(च) सरकार द्वारा देश में व्यापार करने में सुगमता लाने और कारपोरेट अभिशासन ढांचे को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क): भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों द्वारा एक महीने का विशेष अभियान 3.0 चलाया गया है। 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2023 तक कार्यान्वयन चरण के दौरान, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों और कारपोरेट कार्य मंत्रालय के दायरे में आने वाले संगठनों के साथ स्वच्छता अभियान सहित प्रारंभिक चरण के दौरान पहचाने गए मापदंडों के अनुसार सभी लंबित मामलों को निपटाने के लिए विशेष अभियान 3.0 में सक्रिय रूप से भाग लिया।

(ख): मंत्रालय ने 30.09.2023 की स्थिति के अनुसार 01 पीएमओ संदर्भ, 05 वीआईपी संदर्भ, 01 अंतर-मंत्रालयी परामर्श (आईएमसी) संदर्भ और 374 लोक शिकायतों जैसे पहचाने गए लंबित मामलों का निपटान किया है, जिससे अभियान की शुरुआत में पहचाने गए और निर्धारित किए गए लक्ष्यों की 100% प्राप्ति हुई है।

(ग): स्वच्छता अभियान के परिणामस्वरूप दो गैर-सेवायोग्य वाहनों और अनुपयोगी वस्तुओं का निपटान करके 1135 वर्ग फुट क्षेत्र को मुक्त कराया गया जिससे लगभग 3.58 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। दीवारों, स्तंभों और गलियारों को चित्रों, गमलों और छोटे पौधों से सजाया गया था, जिससे स्वच्छ भारत की दिशा में एक पूरक कदम के रूप में कार्यालयों को स्वच्छ और हरा-भरा बनाया जा सके। डिजिटल प्रलेखन को प्रोत्साहित करने के लिए, कंपनी अधिनियम, 2013 और एलएलपी अधिनियम, 2018 के तहत कारपोरेट्स द्वारा फ़ाइल सभी कागजात/दस्तावेजों को मंत्रालय के एमसीए21 पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से पेपरलेस मोड में फ़ाइल करने के लिए निर्धारित किया गया है।

(घ) और (ङ): मंत्रालय ने सभी लंबित मुकदमों की गहन समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया है। तदनुसार, 2017 में स्पेशल ड्राइव-I में 14,247 मुकदमे वापस ले लिए गए थे और 'स्पेशल एरियर क्लीयरेंस ड्राइव के लिए एक्शन प्लान' के तहत स्पेशल ड्राइव-II में 7,338 कंपाउंडेबल मामलों को वापस लेने की मंजूरी दी गई है।

(च): कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कानून का पालन करने वाली कंपनियों पर विभिन्न अनुपालन भार को कम करके और देश में व्यवसाय शुरू करने के लिए सरलीकृत प्रक्रिया को सरल बनाकर व्यवसाय करने में आसानी प्रदान करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जो निम्नानुसार हैं: -

(i) ई-प्ररूपों से संबंधित "नाम उपलब्धता" और "निगमन" की प्रक्रिया के लिए केन्द्रीय पंजीकरण केन्द्र (सीआरसी) की स्थापना करना।

(ii) कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने एसपीआईसीई+ नामक एक नया वेब प्ररूप प्रारंभ किया है जो एजाइल प्रो-एस नामक एक लिंक्ड प्ररूप के साथ एकल एकीकृत वेब प्ररूप के माध्यम से विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है, अर्थात् :-

i.नाम आरक्षण, ii. निगमन, iii पैन, iv. टैन, v. डीआईएन, vi. ईपीएफओ पंजीकरण, vii. ईएसआईसी पंजीकरण, viii, जीएसटी संख्या, ix. विभिन्न बैंकों द्वारा बैंक खाता संख्या, x. व्यवसाय कर पंजीकरण (मुंबई, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल (कोलकाता) और xi. दिल्ली दुकानें और प्रतिष्ठान पंजीकरण।

एक उद्यमी एक दिन के भीतर एक कंपनी को निगमित कर सकता है और 2-3 दिनों के भीतर व्यवसाय शुरू कर सकता है क्योंकि व्यवसाय शुरू करने के लिए सभी आवश्यक पंजीकरण वेब प्ररूपों के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं।

(iii) इस मंत्रालय ने कंपनी (निगमन) तृतीय संशोधन नियम, 2020 के माध्यम से दिनांक 24.12.2020 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. (अ) 795 के माध्यम से www.mca.gov.in पर उपलब्ध एक सरल वेब सेवा के माध्यम से कुछ मामलों में नाम के आरक्षण के विस्तार का प्रावधान किया है।

(iv) सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) के निगमन को सरल बनाने के लिए मंत्रालय ने एफआईएल एलआईपी (सीमित देयता भागीदारी के निगमन के लिए प्ररूप) नामक एक वेब आधारित प्ररूप शुरू किया है जो नाम के आरक्षण, नए एलएलपी को शामिल करने और/अथवा डीआईएन/डीपीआईएन के आबंटन के लिए आवेदन के लिए एकल आवेदन से संबंधित है।

(v) कानून का पालन करने वाली कंपनियों के लिए व्यापार करने में आसानी और जीवन यापन में सुगमता लाने के लिए सीमित देयता भागीदारी (संशोधन) अधिनियम, 2021 के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 में 51 अपराधों को गैर-आपराधिक घोषित किया गया है और एलएलपी अधिनियम, 2008 में 12 अपराधों

को गैर-आपराधिक घोषित किया गया है। इस प्रकार, कुल 63 अपराधों को गैर-आपराधिक घोषित किया गया है।

(vi) सीमित देयता भागीदारी (संशोधन) अधिनियम, 2021 के माध्यम से, स्टार्टअप एलएलपी की मान्यता के साथ-साथ टर्नओवर या योगदान के मानदंड के आधार पर "छोटी कंपनियों" की अवधारणा के अनुरूप "लघु एलएलपी" की अवधारणा शुरू की गई है। लघु एलएलपी कम अनुपालन, कम शुल्क या अतिरिक्त शुल्क आदि के अधीन होंगे ताकि अनुपालन की लागत कम हो सके।

(vii) एकल व्यक्ति कंपनियां- एकल व्यक्ति कंपनियों (ओपीसी) के निगमन और कार्यकरण के संबंध में प्रावधानों में काफी संशोधन किया गया है ताकि और अधिक ओपीसी के निगमन को प्रोत्साहित किया जा सके। अब अनिवासी भारतीयों को भी ओपीसी को शामिल करने की अनुमति है।

(viii) 'लघु कंपनियों' के संबंध में अनुपालन में सुगमता।

आगे काम करने के मामले को सुविधाजनक बनाने और "लघु कंपनियों" पर अनुपालन बोझ को कम करने के लिए एमसीए ने अधिसूचना सं 2008 के माध्यम से दिनांक 01.02.2021 के सा.का.नि.92 (अ) और दिनांक 15.09.2022 के सा.का.नि.700 (अ) के द्वारा "लघु कंपनियों" की परिभाषा में दो बार संशोधित किया है और निम्नलिखित के लिए सीमा बढ़ा दी है: -

i. चुकता पूंजी "50 लाख रुपये से अधिक नहीं" से शुरू में "2 करोड़ रुपये से अधिक नहीं" और फिर "4 करोड़ रुपये से अधिक नहीं" हो गई।

ii. टर्नओवर "2 करोड़ रुपये से अधिक नहीं" से शुरू में "20 करोड़ रुपये से अधिक नहीं" और फिर "40 करोड़ रुपये से अधिक नहीं" हो गई,

(ix) कुछ ई-प्ररूपों के प्रसंस्करण प्रकार और कुछ ई- प्ररूपों के कुछ प्रयोजनों के लिए प्रसंस्करण प्रकार एसटीपी (स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस) रहे हैं और अब इन्हें मानवीय हस्तक्षेप के बिना इलेक्ट्रॉनिक रूप से अनुमोदित किया जा सकता है और इसलिए अनुपालन में आसानी होगी और व्यापार करने में आसानी होगी।

(x) कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों के नाम हटाना) नियम, 2016 को दिनांक 17.04.2023 को संशोधित किया गया है, जिसके माध्यम से यह प्रावधान किया गया है कि धारा 396 की उप-धारा (1) के तहत स्थापित रजिस्ट्रार, सी पीएसीई, प्ररूप सं एसटीके-2 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के तहत ऐसे आवेदनों के संबंध में इससे संबंधित सभी मामले, जिनका क्षेत्राधिकार पूरे भारत में है, में किए गए आवेदनों के प्रसंस्करण और निपटान के कार्यात्मक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के प्रयोजनार्थ कंपनी रजिस्ट्रार होंगे।

(xi) इस मंत्रालय ने विश्वास आधारित व्यवसाय माहौल की दिशा में एक उपाय के रूप में एलएलपी प्ररूप-3 और प्ररूप -4 एसटीपी को बनाया है।

(xii) इस मंत्रालय ने दिनांक 25.09.2023 के सामान्य परिपत्र सं.09/2023 के तहत 30 सितंबर, 2024 तक या उससे पहले वर्ष 2023 या 2024 के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल (ओवीएएम) के माध्यम से वार्षिक आम बैठक (एजीएम) और असाधारण आम बैठक (ईजीएम) आयोजित करने या डाक मतपत्र के माध्यम से मदों का लेनदेन करने की समय सीमा बढ़ा दी है।

******